15/11/17

पत्रावली पेश हुई। हवाला वादि विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। नियमानुसार निर्णय बावक ते लिखवाया जाकर आखिर पत्रावली शामिल जावे। पत्रावली कैफियत मुकम्मल होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:49:47 IST
Reason: SelfAttested

## डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना (आर.ए.एस.)**

**उनवान**

अब्दुल हलीम खान उर्फ बाबू पुत्र स्व. अब्दुल करीम उर्फ कुल्लु उम्र 60 साल जाति मुसलमान निवासी बागुर वाली मस्जिद के पास करौली तहसील व जिला करौली

–वादी

**बनाम**

1. अब्दुल अतीक पुत्र अब्दुल रहीम उम्र 45 साल जाति मुसलमान निवासी बागुरवाली मस्जिद के पास तहसील व जिला करौली
2. बाई पुत्री अब्दुल रहीम जाति मुसलमान आयु 48 साल निवासी बागुर वाली मस्जिद के पास करौली तहसील व जिला करौली
3. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार करौली तहसील करौली जिला करौली

–प्रतिवादीगण

**दावा अंतर्गत धारा 88 आरटी एक्ट बाबत दावा इन्द्राज दुरूस्ती**

**मुकदमा नं. 29/24**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री जुल्फिकार अली** एडवाकेट मिनजानिब मुदई रूबरू ........................ मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अ... दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 7767, 7770, 7772, 77... 7779, 7791, 7792 कुल रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा वाके पटवार हल्का 10 तहसील करौली जिला करौली मे अ... पिता नाम जमाबंदी में कल्लु पुत्री गरीबा के स्थान पर अब्दुल करीम उर्फ कल्लु दुरूस्त कराने का अधिकारी ... प्रतिवादी नंबर 3 को आदेश दिये जाते है कि वह राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता नाम कल्लु पुत्री गरीबा के स्था... पर अब्दुल करीम उर्फ कल्लु दुरूस्त कर अमल करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज ........................................ मुबलिग ........................................ बाबत ........................................ खर्चा इ... मुकदमे के मय सूद निज बगरह ...................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ... .................................... का अदा करें।

बसखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 17/11/25 को सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

9/11
उपखण्ड अधिकारी, करौली

Signature Not Veri...
Digitally signed by Pre...
Date: 2026.04.22 14:49
Reason: SelfAttested

| मुदई | रूपया | पैसे | मुद्दायलह | रूपया | |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प बजह सबूत | | | महन्ताना अर्जी | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

9/11
उपखण्ड अधिकारी, करौली

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो ... नहीं दर्ज करना चाहिये।

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी **प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)**

मु0न0:–29/24 तारीख रजु:–24.11.2022

**उनवान**

अब्दुल हलीम खान उर्फ बाबू पुत्र स्व. अब्दुल करीम उर्फ कुल्लु उम्र 60 साल जाति मुसलमान निवासी बागुर वाली मस्जिद के पास करौली तहसील व जिला करौली

–वादी

**बनाम**

1. अब्दुल अतीक पुत्र अब्दुल रहीम उम्र 45 साल जाति मुसलमान निवासी बागुरवाली मस्जिद के पास तहसील व जिला करौली
2. बाई पुत्री अब्दुल रहीम जाति मुसलमान आयु 48 साल निवासी बागुर वाली मस्जिद के पास करौली तहसील व जिला करौली
3. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार करौली तहसील करौली जिला करौली

–प्रतिवादीगण

**दावा अंतर्गत धारा 88 आटी एक्ट बाबत दावा इन्द्राज दुरूस्ती**

**–::निर्णय::–** दिनांक:– 17/11/25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नंबर 7767, 7770, 7772, 7773, 7779, 7791, 7792 कुल रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा वाके पटवार हल्का 10 तहसील करौली जिला करौली में स्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण के स्व. अब्दुल रहीम के पिता (दादा) का नाम सेटलमेंट जमाबंदी में सहवन कल्लु दर्ज हो गया था तभी से रेवेन्यू रिकॉर्ड में कल्लु पुत्री गरीबा चला आ रहा है। जबकि वादी के स्व. दादा का सही नाम कल्लु उर्फ अब्दुल करीम है रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिर्फ कल्लु दर्ज कर रखा है। जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में कल्लु उर्फ अब्दुल करीम दर्ज होना चाहिये था। वादी स्व. दादा का नाम वादी के सभी दस्तावेजों में अब्दुल करीम वादी के बिजली कनेक्शन, के बिल में अब्दुल करीम खान दर्ज है एवं परिवार राशन कार्ड में भी अब्दुल करीम दर्ज है एवं आधार कार्ड में भी अब्दुल करीम दर्ज है। इस आधार पर वादी चालु जमाबंदी रेवेन्यू रिकॉर्ड में

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2026.04.22 14:49:47
Reason: SelfAttested

अपने स्व. दादा का नाम अब्दुल करीम उर्फ कल्लु दर्ज कराने का अधिकारी है। अंत वादी द्वारा नाम दुरूस्त कराने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादी नंबर 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई और प्रतिवादी नंबर 2 से वादी वकील द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहते बाबत आदेशिक पर दर्ज कर अपने हस्ताक्षर किये।

वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में स्वंय का शपथ पत्र पेश किया है एवं दस्तावेजी सबूत में जमाबंदी संवत 2021 प्रदर्श–1, सेटलमेंट जमाबंदी संवत 2035 प्रदर्श–2 एवं बिजली का बिल प्रदर्श–3 व आधार कार्ड की फोटो कॉपी पेश की है। साक्ष्यवादी समाप्त की गई। प्रतिवादीगण द्वारा कोई जबावदावा व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

बहस वकील वादी सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी एवं प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नंबर 7767, 7770, 7772, 7773, 7779, 7791, 7792 कुल रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा वाके पटवार हल्का 10 तहसील करौली जिला करौली में स्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण के स्व. अब्दुल रहीम के पिता (दादा) का नाम सेटलमेंट जमाबंदी में सहवन कल्लु दर्ज हो गया था तभी से रेवेन्यू रिकॉर्ड में कल्लु पुत्री गरीबा चला आ रहा है। जबकि वादी के स्व. दादा का सही नाम कल्लु उर्फ अब्दुल करीम है रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिर्फ कल्लु दर्ज कर रखा है। जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में कल्लु उर्फ अब्दुल करीम दर्ज होना चाहिये था। वादी स्व. दादा का नाम वादी के सभी दस्तावेजों में अब्दुल करीम वादी के बिजली कनेक्शन, के बिल में अब्दुल करीम खान दर्ज है एवं परिवार राशन कार्ड में भी अब्दुल करीम दर्ज है एवं आधार कार्ड में भी अब्दुल करीम दर्ज है। इस आधार पर वादी चालु जमाबंदी रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपने स्व. दादा का नाम अब्दुल करीम उर्फ कल्लु दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 7767, 7770, 7772, 7773, 7779, 7791, 7792 कुल रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा वाके पटवार हल्का 10 तहसील करौली जिला करौली में अपने पिता नाम जमाबंदी में कल्लु पुत्री गरीबा के स्थान पर अब्दुल करीम उर्फ कल्लु दुरूस्त कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी नंबर 3 को आदेशित किये जाते है कि वह राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता नाम कल्लु पुत्री गरीबा के स्थान पर अब्दुल करीम उर्फ कल्लु दुरूस्त कर अमल करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

**निर्णय आज दिनांक 17/11/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।**

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.04.22 14:49:47
Reason: SelfAttested